भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2620
(05 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के तहत लाभ से वंचित होना

2620. श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतराव:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि महाराष्ट्र के कई नगर परिषद क्षेत्रों के किसान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के लाभ से वंचित हैं;

(ख) यदि हाँ, तो नगर परिषद क्षेत्रों में काम करने वाले कृषि मजदूरों को ग्रामीण क्षेत्रों की तर्ज पर रोजगार गारंटी प्रदान न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का ऐसे अर्ध-शहरी क्षेत्र के किसानों को मनरेगा के अंतर्गत शामिल करने का विचार है ताकि उन्हें सम्मानजनक रोजगार और आय के साधन मिल सकें ; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (घ): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा), 2005, में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक परिवार जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम कार्य करने के इच्छुक हैं उन्हें कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

चूंकि, इस अधिनियम के प्रावधान देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों पर लागू होते हैं, अत: शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवार महात्मा गांधी नरेगा की वर्तमान संरचना में शामिल नहीं हैं।